

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
(वित्त प्रभाग)

फा.सं. विविध/वि.प्र./सीसीए/जीआईए/24-25

दिनांक: 12.09.2024

परिपत्र

**विषय: वर्ष 2024-25 हेतु जीआईए सामान्य एवं जीआईए पूंजी के अंतर्गत व्यय की तुलना में आबंटित निधियों की समीक्षा-
उसकी परामर्शिका संबंधी।**

चालू वित्त वर्ष 2024-25 हेतु जीआईए सामान्य एवं जीआईए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत विभागों/केंद्रों/भंडार अनुभाग (नि.का.) के भंडार अनुभागों के साथ व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान निधियों की बुकिंग तथा उसके व्यय से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई तथा तदनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी संबंधित स्टाफ की जानकारी हेतु परिचालित किया जा रहा है:

1. यह देखा गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें निधियां काफी पहले से अर्थात् 03 माह से अधिक समय से बुक हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया के लिए बुकिंग के बिल/इन्वोइस वित्त प्रभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
2. वित्त प्रभाग को बिल/इन्वोइस समय पर प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप मंत्रालय के टीएसए के संबंध में संस्थान के व्यय स्थान में न्यूनोक्ति पाई गई है।
3. अब चूंकि सभी भुगतान केवल टीएसए के द्वारा ही किए जा रहे हैं तथा नोडल मंत्रालय किसी भी समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधि की स्थिति एवं उसके व्यय को मॉनीटर कर सकता है।
4. इस प्रकार, टीएसए के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से बुक की गई निधि हमेशा बेमेल रहती है, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त तिमाही/छमाही अवधि हेतु आबंटित निधि से अधिक के लिए देयता बुक की गई है। अतः, संस्थान के वित्त प्रभाग को हमेशा मंत्रालय को निधि की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में कठिनाई होगी।
5. पूरे वित्त वर्ष के दौरान वहन व्यय की एक निर्धारित माहवार समयसीमा/प्रतिशत है। मार्च माह में भुगतान करने के लिए शेष राशि, कुल आबंटित निधियों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. इसके बाद, व्यय की बुकिंग के 03 माह बीत जाने के बाद भुगतान के लिए भेजे गए बिलों के लिए विभागों को एलसी मामलों को छोड़कर, इसके लिए उपयुक्त औचित्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों के सटीक प्रस्तुतीकरण के लिए बिलों/इन्वोइसों को समय से जमा करने की आवश्यकता तथा परिणामस्वरूप आबंटित निधि में त्रुटि की किसी भी स्थिति से बचने पर बार-बार जोर दिया गया है।

तदनुसार, सभी विभागों/भंडार अनुभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त परामर्शिका का पालन करें तथा वित्त प्रभाग को उपर्युक्त समय-सीमा में बुक की गई निधि के इन्वोइस/बिल भेजें, ताकि वित्त वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचा जा सके।

इसे वरिष्ठ वित्त सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


वित्त सलाहकार

वितरण:

सभी विभाग/अनुभाग/एकक

प्रतिलिपि:

निदेशक/संकायाध्यक्ष/अपर निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/चिकित्सा अधीक्षक के निजी सचिव।

प्रमुखगण- ह.त.कें., रा.प्र.कें., सं.रो.कें.अ., एनडीडीटीसी, जेपीएनएटीसी, सीडीईआर के निजी सचिव।

कंप्यूटर सुविधा: इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ANSARI NAGAR, NEW DELHI-29
(FINANCE DIVISION)

No.F. Misc/FD/CCA/GIA/24-25

Dated:12.09.2024

CIRCULAR

Sub: Review of funds allocated vis a vis expenditure under the GIA General and GIA Capital for the year 2024-25-Advisory thereof.


A meeting under the chairmanship of ADA sir was held to review the pace of expenditure with Store Sections of the Departments/Centres/Store Section(DO) under the head GIA General and GIA Capital for the current financial year 2024-25. During the course of meeting an issue related to booking of funds vis a vis its expenditure was discussed and accordingly the following important points are being circulated for the information of all concerned :

- 1.It is observed that there are cases wherein funds stand booked well in advance i.e more than 03 months but the bills/invoices against the booking are yet to be received in Finance Division for processing of payment.
2. The non submission of timely invoices/Bills to Finance Division are resulting in understatement of the expenditure position of the Institute with respect to TSA of the Ministry.
- 3.Now since all payments are being released through TSA only and Nodal Ministry can any time monitor the status of funds allocated under various schemes and its expenditure .
4. Thus, there is always a mismatch of funds booked with the availability of funds under TSA despite the fact that liability has been booked for more than the allocated funds for the said quarter/six monthly period. Hence, Finance Division of Institute will always finds it difficult to project clear picture of fund position to Ministry.
5. There is a prescribed month wise timeline/percentage of carrying expenditure during the entire Financial Year. In the month of March not more than 15% of total allocated funds should remain for released as payments.
6. Henceforth, bills sent for payment after lapse of 03 months of booking of expenditure the departments will be asked to furnish suitable justification for the same except LC cases.

FD from time and again has emphasized on the need of timely submission of bills/invoices for accurate projections of Revised Estimates and to avoid any situation resulting in lapse of allocated funds.

Accordingly, all departments/Store Sections are requested to adhere to the above advisory and forward invoices/bills wherein funds stands booked to Finance Division in the abovesaid timeline to avoid Rush of Expenditure at the fag end of Financial Year.

This issues with the approval of Sr. Financial Advisor.


Financial Advisor

Distribution:

All Departments/Sections/Units

Copy to:

P.S to Director/Dean/ADA/Sr. FA/MS

P.S to Chief CNC, RPC, IRCH, NDDTC, JPNATC, CDER

Computer Facility for uploading this circular on AIIMS, website.